भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **418**
दिनांक **24** जून, 2019

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति

418. श्री जी॰ एम॰ सद्देश्वराः
श्री प्रवेश साहिब संह वर्माः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन के लए खाद्यान्नों के प्रयोग हेतु राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति स्वीकृत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन कटौती, कच्चे तेल का उत्पादन, वदेशी मुद्रा की बचत के संदर्भ में प्राप्त होने वाले लाभों की तुलना में देश में खाद्यान्नों की श्रृंखला के मूल्यांकन संबंधी कोई अध्ययन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आने वाले वर्षों में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से जीवाश्म ईंधनों पर अंतरण हेतु नीति सुधारों पर कार्य कर रही है/कार्य कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में वा र्षक वाहन ईंधन खपत हेतु जीवाश्म ईंधनों और गैर-जीवाश्म ईंधनों के अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में अत्य धक उच्च वायू प्रदूषण स्तरों के कारण भारत स्टेज **VI** ईंधन प्रदान करने पर पूर्ण अंतरण प्रस्ता वत कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) : दिनांक 08.06.2018 को अ धसू चत की गई राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति – 2018 में अन्य बातों के साथ-साथ मानवीय उपयोग के लए अनुपयुक्त क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों जैसे गेहूं, टूटे हुए चावल आदि से एथेनॉल का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय स मति के अनुमोदन के आधार पर खाद्यान्नों की अ धशेष मात्रा से एथेनॉल का उत्पादन करने की भी अनुमति दी गई है।

(ख): एथेनॉल के उत्पादन के लए क्षतिग्रस्त खादयान्नों और अ धशेष खाद्यान्नों के उपयोग से एथेनॉल म श्रत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लए इसकी उपलब्धता बढ़ेगी। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2017-18 के दौरान 150.5 करोड़ लीटर एथेनॉल का मश्रण पेट्रोल में कया गया

था जिसके परिणामस्वरूप लगभग 5070 करोड़ रुपए की वदेशी मुद्रा की बचत हुई और कार्बन का उत्सर्जन 29.94 लाख टन की सीमा तक कम हो गया।

(ग) और (घ): सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मश्रण और डीजल में 5% जैव डीजल का मश्रण करने का सांकेतिक लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। ईबीपी कार्यक्रम के तहत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप संघ शा सत प्रदेश (यूटी), जहां ओएमसीज ईबीपी कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में 10% तक एथेनॉल का मश्रण करती हैं, को छोड़कर पूरे देश में तेल वपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल का मश्रण कया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने ईबीपी कार्यक्रम के लए एथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से दूसरी पीढ़ी के जैव एथेनॉल की वनिर्माण परियोजनाओं को व्यवहार्यता में कमी संबंधी निधीयन (वीजीएफ) उपलब्ध करवाने के लए जी-वन योजना को अनुमोदित कर दिया है।

मंत्रालय ने दिनांक 30.04.2019 के "परिवहन के लए हाई-स्पीड डीजल में मश्रण हेतु जैव डीजल की बिक्री के लए दिशा-निर्देश-2019" के संबध में दिनांक 01.05.2019 की राजपत्र अ धसूचना भी जारी की है।

(ड.) : सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से पूरे देश में सीधे ही बीएस-VI गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग शुरू करने का निर्णय लया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण में हुई वृ द्ध को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 01 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस-VI ऑटो ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके अलावा,पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 जिलों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर 3 अन्य जिलों/शहरों (करौली, धौलपुर और आगरा शहर) में बीएस-VI ऑटो ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दी है।

****